रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 1984/आषाढ़ 19, 1906
No. 256] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 1984/ASADHA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1984

सा. का. नि. 506(अ)—भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा का नि. 241(अ) दिनांक 30 मार्च, 1984

और शुद्धि पत्र सं. सा.का.नि. 324(अ) दिनांक 3-5-1984 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 10 के सामने, "उपाध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "श्री सी. चेरियन, सदस्य समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) शब्द रखे जायेंगे ।

[फा. सं. पी. डब्ल्यू/पी.टी.बी.-24/83]

पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10 July, 1984

G.S.R. 506(E).—In the notification of the Government of India Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 241(E), dated 30 March, 1984 and the Corrigendum No. G.S.R. 324(E), dated 3rd May, 1984, the following amendment shall be made namely :—

In the said notification, against serial number 10, for the words "Vice Chairman, Marine Products Export Development Authority", the words "Shri C. Cherian, Member, Marine Products Export Development Authority' shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-24/83]

P. V. RAO, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984